

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कांडिका	पृष्ठ
प्रावकथन	—	V
कार्यपालिक सारांश	—	Vii
प्रथम अध्याय— राज्य शासन के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
2017–18 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुभाग तथा वास्तविकतायें	1.1.3	5
जेंडर बजट	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण	1.2.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	10
कर के संग्रहण की लागत	1.3.2	11
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.3	11
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.3.4	12
राजस्व का कम संग्रहण	1.3.5	12
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	13
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1.4.1	14
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	14
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.4.3	14
क्षतिपूर्ति उपकर का अनन्तिम समायोजन	1.4.4	14
लोक लेखे की शेष राशि	1.5	16
संसाधनों का उपयोग	1.6	16
पूँजीगत व्यय	1.6.1	17
राजस्व व्यय	1.6.2	17
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	19
व्यय के उपयोग की कुशलता	1.7.2	20
चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	20
शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	20
सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम	1.8.1	21
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	21
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	22
राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	22
रोकड शेष एवं रोकड शेष का निवेश	1.8.5	23
वित्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के रोकड शेष निवेश के आंकड़ों में विविधता	1.8.6	24
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	24
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक	1.9.1	24
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	25
आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन	1.9.3	26
राज्य आपदा राहत निधि	1.9.4	27
संचित निक्षेप निधि	1.9.5	27
प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व	1.9.6	28
ऋण प्रबंधन	1.10	29

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
ऋण प्रारूप	1.10.1	29
ऋण धारणीयता	1.10.2	29
ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा	1.10.3	30
द्वितीय अध्याय— वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	31
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.2	32
पिछले वर्षों (2000–01 से 2017–18) से संबंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता	2.2.1	32
सतत अतिरेक व्यय	2.2.2	32
योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय	2.2.3	33
बचत	2.2.4	33
अनुदानों के अंतर्गत सतत बचत	2.2.5	34
उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया	2.2.6	35
अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.7	35
उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.8	35
निधियों का अतिरेक/ अनावश्यक /अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.2.9	36
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.10	36
पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना	2.2.11	36
व्यय का अतिवेग	2.2.12	36
विनियोग लेखे में भिन्नताओं के कारण प्रदान नहीं किए गए	2.2.13	37
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.3	37
अनुदान संख्या 71 – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बजटीय प्रक्रिया	2.4	38
संचार क्रांति योजना पर व्यय का गलत वर्गीकरण	2.4.1	39
बजट अनुमान एकमुश्त हैं	2.4.2	39
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पण	2.4.3	39
तृतीय अध्याय— वित्तीय प्रतिवेदन		
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)	3.1	41
सक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक	3.2	42
स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति	3.3	43
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.4	43
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा लाभंश का घोषित न होना	3.4.1	45
हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.5	45
व्यक्तिगत जमा खाते	3.6	46
व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि	3.6.1	46
लेखाओं का पूर्णमैलन न किया जाना	3.6.2	47
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.6.3	47
राशि ₹ 135.67 करोड़ का गलत वर्गीकरण	3.6.4	48
राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण	3.7	48
लघु शीर्ष-800 में समायोजन	3.8	49
स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष	3.9	50
शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना	3.9.1	50
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	3.9.2	50
रोकड़ बही के रखरखाव से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करना	3.9.3	51
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.10	52
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	3.10.1	52
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.11	53
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.12	54
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.13	54

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1 भाग अ	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	57
परिशिष्ट 1.1 भाग ब	शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र	58
परिशिष्ट 1.1 भाग स	वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।	58
परिशिष्ट 1.2	वित्तिय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि	59
परिशिष्ट 1.3 भाग अ	वर्ष 2017–18 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार	61
परिशिष्ट 1.3 भाग ब	छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तिय स्थिति	64
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2017–18 के लिये बजट प्रावधान	65
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2017–18 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय	67
परिशिष्ट 1.6	राज्य सरकार के वित्तिय समय शृंखला डाटा विश्लेषण	68
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरेक व्यय	72
परिशिष्ट 2.2	योजनायें जिनमें 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए	73
परिशिष्ट 2.3	अनुदान स्तर पर प्रत्येक प्रावधान में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत	74
परिशिष्ट 2.4	विनियागों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत	76
परिशिष्ट 2.5	बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत, 100 करोड़ से अधिक बचत	78
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक तथा 10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत	80
परिशिष्ट 2.7	योजनाएं जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	82
परिशिष्ट 2.8	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए	84
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान	86
परिशिष्ट 2.10	उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	87
परिशिष्ट 2.11	उप-शीर्षों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान	89
परिशिष्ट 2.12	उप-शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	91
परिशिष्ट 2.13	अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्णविनियोजन (जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)	92
परिशिष्ट 2.14	वास्तविक बचत से अधिक सर्वपण	93
परिशिष्ट 2.15	बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है	94
परिशिष्ट 2.16	समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत	95
परिशिष्ट 2.17	वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय की अतिवेग	96
परिशिष्ट 3.1	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार रिस्थिति	97
परिशिष्ट 3.2	31 जनवरी 2019 तक की लंबित वि.आ. देयकों का वितरण	97
परिशिष्ट 3.3	31 दिसम्बर 2018 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखे वाले साक्षे. उपकरणों में निवेश	98
परिशिष्ट 3.4	चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	99
परिशिष्ट 3.5	31 मार्च 2018 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण	100
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2017–18 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली	102

विषय सूची

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 3.7	व्यक्तिगत जमाखातें में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि	103
परिशिष्ट 3.8	मार्च 2018 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातें में हस्तांतरित राशि का विवरण	104
परिशिष्ट 3.9	पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण	104
परिशिष्ट 3.10	वर्ष 2017–18 के दौरान लधु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण	105
परिशिष्ट 3.11	वर्ष 2017–18 में लधु शीर्ष “800” के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण	106
परिशिष्ट 3.12	अस्थाई अग्रिम की स्थिति	107
परिशिष्ट 3.13	रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण	108